(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4072–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–10–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 7/अपील/2015–16.

.....

प्रकाश राव पिता खण्डेराव जाति मराठा,
निवासी ग्राम भिडौता खुर्द तहसील धार जिला धार

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक

श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 31/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने इस आशय का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्राम भिडौताखुर्द तहसील व जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 9/2 रकबा 6.019 हेक्टेयर भूमि का वह भूमिस्वामी है, किन्तु सजस्व अभिलेख में पटवारी द्वारा अहस्तान्तरणीय शब्द अंकित कर दिया गया है, अतः उक्त अहस्तांतरणीय शब्द विलोपित किया जाये ।

तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ–6–अ/13–14 दर्ज कर दिनांक 23–6–2014 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–7–2015 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 06–10–2015 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि आवेदक के पूर्व मालिक स्वयं मालिक की हैसियत से काबिज है उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया गया है जो विधि के अनुसार है वह आज्ञा कायम है, उसके कायम रहते अहस्तांतरणीय शब्द मनमाने तौर पर बिना सुनवाई के बिना आदेश के खाते खसरे में एवं भू–अधिकार पुस्तिका में अंकित नहीं किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने भूमि कय की है और राजस्व प्रपत्र में अपना नाम अंकित करवाया है, लम्बे अरसे तक आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व से दर्ज है । कभी भी राजस्व प्रपत्र में खसरे में अथवा खाते में अहस्तांतरणीय शब्द नहीं रहा है, यकायक कैसे आ गया यह कल्पना से परे है, जिसकी दुरूस्ती तत्काल से होना थी। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर राजस्व अभिलखों से अहस्तांतरणीय शब्द जो अंकित हुआ है वह त्रुटिपूर्ण है उसे विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाकर यह निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम भिडौता खुर्द तहसील धार स्थित भूमि सर्वे नम्बर 9/2 रकबा 6.019 हैक्टेयर वर्ष 1971–72 में बलदेव सिंह पिता भीकमसिंह राजपूत को शासकीय पटटे पर दी गई थी, जो अहस्तान्तरणीय होकर संहिता की धारा 165(7) के अन्तर्गत सिर्फ कलेक्टर की अनुमति से ही अन्तरण की जा सकती थी, परन्तु इस प्रकरण में बिना कलेक्टर की अनुमति के विभिन्न व्यक्तियों को विकय होती रही तथा उनका नामान्तरण भी प्रश्नाधीन भूमि पर स्वीकृत किया गया । उक्त समस्त अंतरण बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के किये जाने से हल्का पटवारी के द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज अहस्तांतरणीय शब्द विलोपित नहीं किया जा सकता है जब तक कि अंतरण की अनुज्ञा संहिता की धारा 165(7) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा दी गई हो । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने से उनमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर